(25) 155/2020

23/1/20

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)

1. सीता पुत्र श्रवण जाति बैरवा निवासी ग्राम बालापुरा तहसील अंराई जिला अजमेर राज0
2. महावीर पुत्र श्रवण जाति बैरवा निवासी ग्राम बालापुरा तहसील अंराई जिला अजमेर राज0
3. सांवरा पुत्र मोडू जाति बैरवा निवासी ग्राम बालापुरा तहसील अंराई जिला अजमेर राज0

वादीगण

बनाम

1. कल्याण पुत्र काना जाति बैरवा निवासी ग्राम मोठी तहसील अंराई जिला अजमेर राज0
2. हनुमान पुत्र सुवा जाति बैरवा निवासी ग्राम मोठी तहसील अंराई जिला अजमेर राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अंराई जिला अजमेर राज0

प्रतिवादीगण

किस्म मुकदमा – 188, 92ए, 209 रा.का.अधि. 136 नंबर 19 / 2017

ऑन लाईन नंबर 2017 / 00019

वकील वादीगण श्री रामदेव गुर्जर वकील प्रतिवादीगण ....

25/4/17, 23/6/17, 18-8-17, 20/11/17, 16-1-18, 16-3-18, 1/8/17, 27/7/18, 26/9/18, 26/12/18, 13/2/19, 10/4/19, 21/6/19, 20/?/19, 12/12/19, 30/3/20, 29/7/20, 25/8/20, 4/11, 23/12, 28/4

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
08.02.2017	यह वाद पत्र वादीगण की ओर से वकील श्री रामदेव गुर्जर ने अन्तर्गत धारा 188, 92ए, 209 रा0का0 अधिनियम एवं धारा 136 राज0भू0 राजस्व अधिनियम के तहत् पेश किया। वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया, वकील वादीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 03.03.2017 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)	
2-3-17	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० प्रतिवादी स० 1 व 3 को जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त प्रतिवादी सं० 1 व 2 बावजूद तामील के उप० नहीं प्रति० सं० 1 व 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रति० 3 के प्रतिनिधि उप० जवाब हेतु समय चाहा अतः पत्रावली दि० 25-4-17 को पेश हो।	

21/12/6.

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न प्रार्थना पत्र
अवलोकन किया गया। वकील वादी की बहस सुनी गई।
वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। पत्रावली
[illegible] मुताबिक फैसला [illegible] शामिल पत्रावली
किया जावे। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर
[illegible] [illegible]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अराई (अजमेर)

व इजलास नीतू मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 155/2020

1. वींजा पुत्र श्रवण उम्र 58 साल साल जाति बैरवा निवासी ग्राम बालापुरा तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान
2. महावीर पुत्र श्रवण उम्र 55 साल, जाति बैरवा निवासी ग्राम बालापुरा तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान
3. सांवरा पुत्र मोडू उम्र 53 साल, जाति बैरवा निवासी ग्राम बालापुरा तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान

—वादीगण

बनाम

1. कल्याण पुत्र काना जाति बैरवा निवासी ग्राम मोठी तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान
2. हनुमान पुत्र सुवा जाति बैरवा निवासी ग्राम मोठी तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान
3. श्रीमान् तहसीलदार महोदय, अराई

— प्रतिवादीगण

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 92 ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

दिनांक— 02/01/2026

वकील नाम रामदेव गुर्जर

संक्षिप्त में वाद का सार इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से वकील रामदेव गुर्जर के द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188,92ए,209 रा0का0अधि0 1955 एवं धारा 136 रा0भू0अधि0 1956के तहत उपखण्ड न्यायालय अराई में पेश किया तथा बाद जाचं दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की जरीये नोटिश तलवी की गई । वाद में वादपत्र में वर्णित यह कि वादीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त कब्जे काश्त आधिपत्य एवं सहखातेदारी की कृषि आराजी ग्राम बालापुरा पटवार क्षेत्र ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 205 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 206 रकबा 07 बिस्वा कुल खसरा दो का कुल रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा है एवं वादी संख्या 3 की एकल कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम बालापुरा पटवार क्षेत्र ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 204 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा है। उक्त भूमि मालपुरा रोड से गांव में जाने वाले रास्ते से लगती हुई है। जिस पर वादीगण अधिकार अभिलेख में इन्द्राज हिस्सा अनुसार काबिज काश्त करते आ रहे है। वादीगण वादग्रस्त आराजी पर सतत रूप से बिना बाधा के काबिज काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 का उक्त आराजी से किसी भी प्रकार से कोई सरोकार नहीं है फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा गांव के व्यक्तियों के कहे अनुसार मौके पर आकर वादीगण की खातेदारी की भूमि में नींव खोद कर कच्चा पक्का निर्माण करने पर उतारू है एवं वादीगण की खातेदारी की कृषि आराजी में ब्लात अतिचार अतिक्रमण करने पर आमादा है। जब कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 का उक्त आराजी में किसी भी प्रकार का हक अधिकार स्वत्व निहित नहीं है। पूर्व में वादीगण द्वारा ग्राम पंचायत को भी वादीगण की भूमि में अवैधानिक रूप से कृत्य किये जाने बाबत् शिकायत भी की गयी थी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा कोई आवश्यक कार्यवाही न करके प्रतिवादीगण को ग्राम पंचायत द्वारा अवैधानिक कृत्य करने की खुली छूट दे रखी है।वादीगण खातेदारी की कृषि आराजी खसरा नम्बर 204 का एकीकरण नक्शे में ए टू बी भाग पश्चिम की तरफ से अधिक निकली हुई है जब कि वर्तमान नक्शे में ए टू बी भाग जो दर्शित किया गया है वह खसरा नम्बर 205 की तरफ ए टू बी भाग कर दिया गया है जो भी गलत है इस प्रकार वर्तमान राजस्व ट्रेस में जो ए टू बी भाग किया गया है इस कारण से खसरा नम्बर 204, 205, 206 में वादीगण के हक में भूमि कम हो गयी है इस कारण से राजस्व ट्रेस में जो वास्तविक एकीकरण के ट्रेस में तरमीम है उस प्रकार वर्तमान नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है। जिससे राजस्व ट्रेस में किसी प्रकार की दुरूस्ती पूर्ण हो सकें। वादीगण गरीब एवं अनुसूचित जाति के सदस्य है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का उक्त आराजी में किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है फिर भी ब्लात अतिचार अतिक्रमण कर नींव खोदने पर उतारू हो गये है इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण की खातेदारी की आराजी में किसी प्रकार का ब्लात अतिचार अतिक्रमण नहीं करे एवं खुर्द बुर्द नहीं करे एवं उक्त आराजी में किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं करने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है ताकि वादीगण के खातेदारी अधिकार सुरक्षित रह सके। वाद कारण दिनांक 5.2.2017 को जब उत्पन्न हुआ कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा बिना किसी हित अधिकारों का सरोकार न होते हुए मौके पर आकर नींव, सींव, खोदने लग गये एवं ब्लात अतिचार कर वादीगण को बेदखल करने की धमकी देने लगे तब वादीगण द्वारा एकजुट होकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अवैधानिक कृत्य को विफल कर दिया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा धमकी दी गयी कि उक्त भूमि पर दो चार दिन में कच्चा पक्का निर्माण करके तुम्हारे को बेदखल कर देगें तब से वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। प्रतिवादी संख्या 3 भू—धारी होने से पक्षकार बनाया गया है प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा ही माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की डिकी एवं अधिकार अभिलेख में समस्त इन्द्राजात की प्रविष्टियां प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा ही की जाती है इसलिए वाद में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वर्णित आराजी ग्राम बालापुरा तहसील अराई जिला अजमेर में स्थित होकर माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से इस वाद को माननीय न्यायालय को वाद श्रवण करने का श्रवणाधिकार प्राप्त है। वादीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी, कब्जे काश्त की कृषि आराजी राजस्व ग्राम बालापुरा पटवार क्षेत्र ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके खसरा नम्बर 205 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 206 रकबा 07 बिस्वा कुल खसरा दो का कुल रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा एवं वादी संख्या 3 की एकल कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम बालापुरा पटवार क्षेत्र ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके खसरा नम्बर 204 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा में प्रतिवादीगण एवं उनके परिवार के सदस्य, नोकर, चाकर, संस्था एवं अन्य व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं करे एवं वादीगण की खातेदारी की भूमि पर ब्लात अतिचार, अतिक्रमण नहीं करे, खुर्द बुर्द नहीं करे अर्थात मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाई जाये। वादीगण द्वारा वाद पत्र की पैरा संख्या 3 में वर्णित खसरा नम्बर 204 में जो ए टू बी भाग एकीकरण राजस्व नक्शे में जो तरमीम की गयी है वह वास्तविक तरमीम है जिसका वर्तमान राजस्व ट्रेस में ए टू बी भाग को गलत तरमीम करने से वर्तमान राजस्व ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

WM

पत्रावली दिनाक 08.02.2017 को दर्ज की गई प्रतिवदीगण की तलवी की गई। प्रतिवादी 1 एवं 2 वावजुद तामिली अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली दिनांक 20.09.2021 को एकपक्षिय बहस सुनी गई। दिनाक 31.05.2024 को पेरोकार सरकार का जवाब प्राप्त हुआ । पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार ग्राम बारापुरा तहसील अराई वर्तमान सेग्रीगेशन जमाबंदी के खाता संख्या 70 ख0न0 205 रकवा 0.3479 है0 खसरा न0 206 रकबा 0.0566 है0 में बीजा पुत्र श्रवण हिस्सा 1/2 महावीर पुत्र श्रवण हिस्सा 1/2 राहिन बीओबी शाखा अराई राजस्व रिर्काड में खाता संख्या 153 खसरा न0 204 रकबा 0.3479 है0 में सावरा पुत्र मोडू हिस्सास पुर्ण राहिन एसबीबीजे शाखा ढसुक राजस्व रिकार्ड है। उक्त भुमि मालपुरा रोड से गाव में जाने वाली रस्ते लगती है। प्रार्थी द्वारा संलग्न प्रमाणित नक्शा प्रति के आधार सही है तथा नक्शा दुरुस्ती किया जाना उचित है। वादी साक्ष्य लिए गए अंतिम बहस सुनी गई ।

तहसीलदार अराई की जांच रिपोर्ट अनुसार पेरोकार जवाब अनुसार वर्णित ग्राम बालापुरा पटवार क्षेत्र ढसुक तहसील अराई की कृषि भूमि के खसरा संख्या 204 रकबा 2 बीघा 3 बीस्वा में ए टु बी भाग राजस्व एकीकरण नक्शे में गलत तरमीम को दुरूस्त करने की जाकर इन्द्राज किया जाने की अनुशंषा की गई है । हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अरांई के जवाब तथा संलग्न नक्शानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार अरांई को आदेश दिये जातें है कि वर्णित ग्राम बालापुरा पटवार क्षेत्र ढसुक तहसील अरांई की कृषि भूमि के एकीकरण नक्शे में गलत तरमीम को दुरूस्त करने के आदेश दिए जाते है। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)